

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी 2009—माघ 4, शक 1930

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

अधिसूचना

क्रमांक F-1-1/2009/सं. क./26.—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 (केन्द्रीय अधिनियम 2007 का सं.-56) की धारा 7 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा भरण-पोषण अधिकरण गठित करती है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(उनके कार्य क्षेत्र अन्तर्गत) | अध्यक्ष |
| 2. | अनुविभाग अधिकारी के मुख्यालय की
जनपद पंचायत के अध्यक्ष अथवा उनके
द्वारा नामांकित जनपद पंचायत महिला सदस्य | सदस्य |
| 3. | अनुविभाग अधिकारी के मुख्यालय में पदस्थ
विकास खंड चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 4. | अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित 60 वर्ष
से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक | सदस्य |

5. अनुविभाग अधिकारी के मुख्यालय में पदस्थ
पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक

समन्वयक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

क्रमांक F-1-1/2009/स. क./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण-पोषण अधिकरण, अपील अधिकरण का गठन तथा भरण-पोषण अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th January 2009

NOTIFICATION

No. F-1-1/2009/S W/26.— In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the State Government hereby, Constitutes Maintenance Tribunal. The Tribunal shall have the following Members :-

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Sub Divisional Officers (Revenue) (for his area) | Chairman |
| 2. | Chairman of Janpad Panchayat of Sub Divisional's Head Quarter or Member of Janpad Panchayat nominated by him | Member |
| 3. | Block Medical Officer hosted at Sub Divisional HQ | Member |
| 4. | Senior Citizen above 60 Years age nominated by Sub Divisional Officer | Member |
| 5. | Panchayat and Social Education Organiser hosted at Sub Divisional HQ | Coordinator |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

अधिसूचना

क्रमांक F-1-1/2009/स. क./26.— माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 (केन्द्रीय अधिनियम 2007 का सं.-56) की धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा अपील अधिकरण गठित करती है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1. जिला कलेक्टर

अध्यक्ष

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 2. | जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामांकित जिला पंचायत की महिला सदस्य | - | सदस्य |
| 3. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - | सदस्य |
| 4. | कलेक्टर द्वारा नामांकित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक | - | सदस्य |
| 5. | संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण | - | समन्वयक |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

क्रमांक F-1-1/2009/स. क./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण-पोषण अधिकरण, अपील अधिकरण का गठन तथा भरण-पोषण अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th January 2009

NOTIFICATION

No. F-1-1/2009/S W/26.— In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 15 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the State Government hereby, Constitute of Appellate Tribunal. The Appellate Tribunal shall have the following Members :-

- | | | | |
|----|---|---|-------------|
| 1. | District Collector- | - | Chairman. |
| 2. | The Chairman of Zila Panchayat female member nominated by Chairman of Zila Panchayat | - | Member |
| 3. | Chief Medical Officer | - | Member |
| 4. | Senior Citizen above 60 Years age nominated by Collector | - | Member |
| 5. | Joint/Deputy Director/I/C Deputy Director Panchayat and Social Welfare of the district. | - | Coordinator |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

अधिसूचना

क्रमांक F-1-1/2009/स. क./26.—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 (केन्द्रीय अधिनियम 2007 का सं.-56) की धारा 18 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संयुक्त/उप-संचालक/प्रभारी उप-संचालक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण को भरण-पोषण अधिकारी नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2009

क्रमांक F-1-1/2009/स. क./26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण-पोषण अधिकरण, अपील अधिकरण का गठन तथा भरण-पोषण अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th January 2009

NOTIFICATION

No. F-1-1/2009/S W/26.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the State Government hereby, appoints the Joint/Deputy Director/I/C Deputy Director Panchayat and Social Welfare of the District as Maintenance Officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh;
NIRANJAN DAS, Joint Secretary.